

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड  
Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरल श्रेणी-I, सीपीएसई  
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)  
Miniratna Category-I, CPSE  
(Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.नि.लि. / सतर्कता / 47 (खण्ड XIV) / 14/1526 दिनांक 31.01.2014

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक

टकसाल / मुद्रणालय / कागज कारखाना,

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।

विषय: हर माह की 5 तारीख को जमा की जाने वाली मासिक जानकारी की डिस्सेमिनेशन रिपोर्ट में कुछ जानकारी की वृद्धि।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करने का आदेश हुआ है कि फरवरी, 2014 से मासिक डिस्सेमिनेशन रिपोर्ट के छः बिन्दुओं के साथ-साथ निम्नलिखित 3 बिन्दुओं को भी जोड़कर जानकारी भेजी जानी अपेक्षित है:-

बिन्दु 7: ठेकेदार / पूर्तिकर्ता / विक्रेता / सेवा प्रदाता को भुगतान में विलम्ब की स्थिति:-


क्र. सं.	कार्य / अपूर्ति / सेवाओं आदि का विवरण जिनका भुगतान चार सप्ताह से ज्यादा देय है	लंबित / विलम्ब का कारण

बिन्दु 8: जारी की गई निविदा तथा वास्तविक रूप में उन्हें वैबसाइट पर अपलोड करने की स्थिति:-

क्र. सं.	माह के दौरान वास्तविक रूप से जारी की गई निविदा पुछताछ	माह के दौरान वास्तविक रूप से वैबसाइट पर अपलोड की गई निविदा पुछताछ	वैबसाइट पर वास्तविक रूप से निविदा पुछताछ अपलोड न करने का कारण

बिन्दु 9: जारी निविदाओं का पोस्ट अवार्ड विवरण तथा वास्तविक रूप से उन्हें वैबसाइट पर अपलोड करने की स्थिति:-

क्र. सं.	माह के दौरान वास्तविक रूप से जारी किए गए पोस्ट अवार्ड विवरण	माह के दौरान वास्तविक रूप से वैबसाइट पर अपलोड किए गए पोस्ट अवार्ड विवरण	वैबसाइट पर वास्तविक रूप से पोस्ट अवार्ड विवरण अपलोड ना करने का कारण


  
31.01.14

दिनांक: 31.01.2014

2. यह पुनः अनुरोध है कि सभी निविदा पुछताछ (पीएसी तथा नामिनेशन को मिला कर) तथा पोस्ट अवार्ड विवरण को वैबसाईट पर अपलोड किया जाना चाहिए तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार निर्धारित समयावधि में इलैक्ट्रानिक माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। आगे आपसे यह अनुरोध है की सख्त रूप से हर माह की 5 तारीख तक यह रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी, भा प्र मु मु नि नि लि को भिजवाने का कष्ट करें।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

  
31.01.14

(वीरेन्द्र कुमार आनन्द)  
वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी

प्रति:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक महोदय के विशेष कर्तव्य अधिकारी।
2. निदेशक (मा सं)/निदेशक (तकनीकी)
3. महाप्रबंधक (सू. प्रौ)
4. अपर महाप्रबंधक (वित्त)
5. सभी उप-महाप्रबंधक (निगम मुख्यालय)
6. सभी वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी एवं सतर्कता सहायक ( निगम मुख्यालय/ टकसाल/ मुद्रणालय/ कागज कारखाना ) - समन्वय के लिए।
